# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 189/2018 दायरा दिनांक : 19.12.2018

**उनवान**

रामप्रताप आयु 56 वर्ष पुत्र श्री माधोलाल, जाति माली, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.....अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

**बहस हेतु उपस्थिति** :– अभिभाषक अपीलांट – श्री ओ0 पी0 मेहता

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनांक : 09.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 22.10.2018 प्रकरण संख्या 150/2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के प्रकरण सं0 32/2016 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.02.2016 से अपीलांट को ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.48 हैक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 768/– रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2018 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली पर एक ही दिनांक में दो फैसले दर्ज है जो न्यायालय के निर्णय प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है । पत्रावली में पटवार मण्डल माल बमोरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2017 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम रामपुरा भगतान, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 0.48 हैक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर प्रार्थी रामप्रताप पुत्र श्री माधोलाल, जाति माली, निवासी सीमल्या, तहसील मांगरोल जिला बारां का कोई कब्जा नहीं है । उक्त भूमि खाली है । और किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया नहीं है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2018 अपास्त किया जाता है और सिविल कारावास की सजा माफ करते हुए पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी को आदेशित किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा